फर्द अहकाम

य उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

भगवान सहाय बनाम सरकार वगै०

संख्या / वर्ष : 153 / 2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04/03/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं० 2 ता 4 के वकील उपस्थित। इन्होंने अपना जवाब पेश नहीं किया। जवाब पेश करने हेतु पूर्व में 6 अवसर प्रदान किये जा चुके है और अवसर दिया जाना उचित नहीं है इसलिये इनका जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रस्तुत अपील पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल० आर० एक्ट को स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं० 27 रकबा 0.8800 हैक्टेयर पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि वे मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढ़ी करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद दूनि दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04/3/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर